अनुदान संख्या 51 – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
GRANT No. 51 – ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*100*	*99*	*-1*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4721,23,00		5463,60,00	5345,33,96	-118,26,04
पूरक	Supplementary	742,37,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					105,48,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	666,17,00		666,34,00	419,98,57	-246,35,43
पूरक	Supplementary	17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					242,93,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत खंड में, समग्र बचत (₹11826.04 लाख) दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹74237.00 लाख के पूरक अनुदान का 16 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत है।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹11826.04 lakhs) constituted 16 percent of the supplementary grant of ₹74237.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059" लोक कार्य	Major Head “2059” Public Works				
मू.	O.	15390.00	16399.00	16401.42	+2.42
पु.	R.	1009.00			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head “2202” General Education				
मू.	O.	59615.00	58809.20	58723.53	-85.67
पु.	R.	-805.80			
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	Major Head “2210” Medical and Public Health				
मू.	O.	32077.00	32155.38	31940.93	-214.45
पु.	R.	78.38			
मुख्य शीर्ष "2215" जल आपूर्ति और स्वच्छता	Major Head “2215” Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	5577.00	6255.90	6250.68	-5.22
पु.	R.	678.90			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head “2216” Housing				
मू.	O.	3815.00	4419.00	4409.97	-9.03
पु.	R.	604.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	27462.00			
पू.	S.	9000.00	34471.71	34471.61	-0.10
पु.	R.	-1990.29			
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	809.00	1896.46	1895.30	-1.16
पु.	R.	1087.46			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यलय	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	10142.00	7599.70	7536.81	-62.89
पु.	R.	-2542.30			
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	69724.00			
पू.	S.	35231.00	104685.21	104656.74	-28.47
पु.	R.	-269.79			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन और दीप गृह	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	18961.00			
पू.	S.	1.00	14327.90	14137.91	-189.99
पु.	R.	-4634.10			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3052" पोत परिवहन	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	50496.00			
			43111.24	42998.60	-112.64
पु.	R.	-7384.76			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क और पुल	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	12788.00			
			6661.04	6655.33	-5.71
पु.	R.	-6126.96			
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	5916.00			
			6409.04	6390.11	-18.93
पु.	R.	493.04			
मुख्य शीर्ष "3225" दूरसंचार सेवाएं	Major Head "3225" Telecommunication Services				
मू.	O.	20000.00			
पू.	S.	30001.00	61793.91	61793.24	-0.67
पु.	R.	11792.91			

(I) ₹20641.00 लाख का प्रावधान अट्ठाईस मदों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹20000.00 लाख, केवल उप–मुख्य शीर्ष के बंद होने के कारण नए बनाये गये शीर्ष को निधियों के हस्तांतरण के कारण, मुख्य शीर्ष "3225" – "अन्य व्यय–पूँजीगत व्यय के लिए योगदान – उपगृह ट्रांसपोंडर को किराये पर लेना" के तहत लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹20641.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty eight heads; of these ₹20000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3225" - "Other Expenses – Contribution towards Capital Expenses – Hiring of Satellite Transponder" - due to transfer of funds to newly created head owing to discontinuation of sub-major head.

(II) मुख्य शीर्ष "2217'' – सामान्य– "नगर पालिकाआ. /नगर परिषदों – पोर्टब्लेयर नगर परिषद को सहायता''– के तहत ₹1989.59 लाख (₹3560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता होने के कारण थी।

(III) मुख्य शीर्ष "2515'' के तहत– बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "जिला परिषद/जिलास्तर पंचायतों – जिला परिषद को सहायता''– ₹680.80 लाख की बचतें (₹3287.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "ग्राम पंचायतों को सहायता – ग्राम पंचायत को मदद''– ₹2367.19 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण आवेदन प्राप्त न होने के कारण थी।

(IV) मुख्य शीर्ष "2801'' – "डीजल/गैस पॉवर जेनरेशन – निदेशन एवं प्रशासन – विद्युत खरीद''– के तहत ₹735.06 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी एजेंसी से विद्युत की कम खरीद के कारण थी।

(V) मुख्य शीर्ष "3051'' – लघु बंदरगाह – डॉकयार्डस और ड्राई डॉकिंग – सरकारी डॉकयार्ड''– के अंतर्गत ₹4814.30 लाख की बचत (₹8674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VI) मुख्य शीर्ष "3052'' – तटीय नौवहन – नौवहन सेवाएं'' – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "मुख्य भूमि द्वीपों के जहाजों का प्रचालन शुल्क'' – ₹3049.61 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(II) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils – Port Blair Municipal Council" - saving of ₹1989.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3560.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(III) Under Major Head "2515" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Assistance to Zilla Parishad/District level Panchayats – Zilla Parishad" - saving of ₹680.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3287.00 lakhs); and

(B) "Assistance to Gram Panchayats – Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹2367.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of applications owing to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation – Direction and Administration – Purchase of Power" - saving of ₹735.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to procurement of less power from external agency.

(V) Under Major Head "3051" - "Minor Ports – Dockyards and Dry Docking – Government Dockyard" - saving of ₹4814.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8674.00 lakhs);

(VI) Under Major Head "3052" – "Coastal Shipping - Shipping Services" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Operational Charges of Mainland-Islands Vessels" - saving of ₹3049.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs); and

(खा) "अंतर–द्वीपीय जहाजों का प्रचालन शुल्क'' – ₹4435.86 लाख की बचत (₹24770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - saving of ₹4435.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24770.00 lakhs).

उपरोक्त तीन मदों के अंतर्गत बचत कोविड–19 महामारी के कारण जहाज के कम प्रचालन की वजह से हुई।

Savings under the above three heads were due to less operation of vessel owing to COVID-19 pandemic.

(VII) मुख्य शीर्ष "3054'' – "जिला और अन्य सड़कें'' – के अंतर्गत बचते निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(VII) Under Major Head "3054" – "District and Other Roads" – savings occurred under the following heads: -

(का) "नगर पालिका/नगर परिषदों–पोर्टब्लेयर नगर परिषद को सहायता''– ₹675.00 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले अनुदानों के संबंध में आवेदन प्राप्त न होने और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Assistance to Municipalities/ Municipal Councils – Port Blair Municipal Council" - saving of ₹675.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs) was due to non-receipt of applications and non-receipt of utilization certificates in respect of previous grants.

(खा) "जिला परिषद/जिला स्तर पंचायत–जिला परिषद को सहायता''– ₹1380.04 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदन प्राप्त न होने के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण थी।

(B) "Assistance to Zilla Parishad/District Level Panchayat – Zilla Parishad" - saving of ₹1380.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to non-receipt of applications owing to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(गा) "ग्राम पंचायतें को सहायता – ग्राम पंचायत को मदद''– ₹4709.96 लाख की बचत (₹5610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्य की धीमी प्रगति और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष की उपलब्धता होने की वजह से थी।

(C) "Assistance to Gram Panchayats – Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹4709.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5610.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to COVID-19 pandemic and availability of unspent balances of previous year.

(VIII) आठ मदों के अंतर्गत ₹3126.00 लाख की बचत हुई, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी, जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक है।

(VIII) Under eight heads savings of ₹3126.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 60 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹32259.17 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया था, जैसा कि, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2021 और मार्च, 2022 में ₹58824.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया थाः–

2.(I) The above savings were partly (₹32259.17 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹58824.00 lakhs in December, 2021 and March, 2022 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2801"– "डीजल/गैस पॉवर जेनरेशन–फोनेक्स बे पर पॉवर हाऊस–पावर प्लांट एंड एनसीलरी वर्क्स"– ₹466.26 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹460.67 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3225"– "दूरसंचार प्रणाली–सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता"–

(क) "उपग्रह ट्रांसपोंडर को किराये पर लेना" –₹27109.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹27108.74 लाख था।

(ख) "चैन्नई अंडमान और निकोवार द्वीप समूह सब मरीन केबिल"– ₹4683.50 लाख।

(II) बचतों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय से प्रतिसंतुलित किया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2059"– "सामान्य–अनुरक्षण और मरम्मत–भवन"– ₹779.04 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर–आवासीय क्वार्टरों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता और डीआरएम के वेतन में वृद्धि और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के कारण था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा– सरकारी प्राथमिक विद्यालय– प्राथमिक शिक्षा"– ₹519.28 लाख का अधिक व्यय (₹28294.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक विद्यालय– माध्यमिक विद्यालय" – ₹702.73 लाख का अधिक व्यय (₹16924.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(A) Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Power House at Phoniex Bay - Power Plant and Ancillary Works" - ₹466.26 lakhs. Actual excess, however, was ₹460.67 lakhs.

(B) Major Head "3225" - "Telecommunication System - Assistance to Public Sector and Other Undertaking" -

(a) "Hiring of Satellite Transponder" - ₹27109.41 lakhs. Actual excess, however, was ₹27108.74 lakhs.

(b) "Chennai Andaman & Nicobar Islands Sub Marine Cable" - ₹4683.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs - Buildings" - excess of ₹779.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance of non-residential quarters and increase of pay of DRMs and allowances of Work charged staff.

(B) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - excess of ₹519.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28294.00 lakhs); and

(b) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of ₹702.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16924.00 lakhs).

उपरोक्त दो शीर्षों अंतर्गत अधिक व्यय मंहगाई भत्ता के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता और लंबित स्थानांतरण टीए और चिकित्सा दावों के भुगतान के कारण थी।

(गा) मुख्य शीर्ष ″2210″– ″सामान्य – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अन्य योजनाएं″– ₹556.31 लाख का अधिक व्यय (₹1751.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दवाओं की खरीद ओर चिकित्सा आपूर्ति के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(घा) मुख्य शीर्ष ″2215″– ″जल आपूर्ति – ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम – ग्रामीण पाईप वाली जल आपूर्ति″– ₹964.81 लाख का अधिक व्यय (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ङ) मुख्य शीर्ष ″2216″– ″सामान्य पूल आवास–अनुरक्षण एवं मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय″– ₹572.73 लाख का अधिक व्यय (₹3015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मरम्मत और अनुरक्षण तथा डीआरएम के वेतन एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों ओर डीआरएम कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता की वजह से था।

(चा) मुख्य शीर्ष ″2501″– ″एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा नियोजन कार्यक्रम – परियोजना कार्यान्वयन – एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऊर्जा विकास″ – ₹1086.30 लाख का अधिक व्यय (₹809.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनटीपीसी, एनएलसी द्वारा सोलर रुफ टॉप और ग्राऊंड माउटेंट सोलर पॉवर प्लांट हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(छा) मुख्य शीर्ष ″3055″– ″सरकारी परिवहन सेवाएं–प्रयोक्ता सुविधाएं″–₹920.00 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनटीपीसी से ए.सी.बसों और ई–बसों के किराये के शुल्क के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण था।

Excess under above two heads was due to requirement of additional funds towards dearness allowances and clearance of pending transfer TA and medical claims.

(C) Major Head “2210” - “General - Tribal Area Sub-Plan - Other Schemes” - excess of ₹556.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1751.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of medicines and medical supplies.

(D) Major Head “2215” - “Water Supply - Rural Water Supply Programmes - Rural Piped Water Supply” - excess of ₹964.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs); and

(E) Major Head “2216” - “General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - excess of ₹572.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3015.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards repairs and maintenance and increase of pay of DRMs and allowances of Work Charged Staff and DRM employees.

(F) Major Head “2501” - “Integrated Rural Energy Planning Programme - Project Implementation - Energy Development for Integrated Rural Energy Programme” - excess of ₹1086.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹809.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards solar roof top and ground mounted solar power plant by NTPC, NLC.

(G) Major Head “3055” - “Government Transport Services - User Facilities” - excess of ₹920.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring charges of AC Buses and E-Buses from NTPC.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1071.02 लाख से अधिक का व्यय हुआ, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं था, जो कि स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक है।

(III) Under three heads excess of ₹1071.02 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent to 54 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूँजीगत भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2760.00			
पू.	S.	1.00	2821.97	2819.86	-2.11
पु.	R.	60.97			
मुख्य शीर्ष "4215" जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	9000.00			
पू.	S.	1.00	10100.72	10099.54	-1.18
पु.	R.	1099.72			
मुख्य शीर्ष "4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2000.00	1424.80	1433.82	+9.02
पु.	R.	-575.20			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ″4250′′ अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2487.00			
पू.	S.	1.00	992.80	991.84	-0.96
पु.	R.	-1495.20			
मुख्य शीर्ष ″4801′′ विद्युत परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	1503.00			
पू.	S.	1.00	1376.67	1357.06	-19.61
पु.	R.	-127.33			
मुख्य शीर्ष ″5051′′ पत्तनों तथा दीप गृहों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	2915.00			
			1039.26	866.29	-172.97
पु.	R.	-1875.74			
मुख्य शीर्ष ″5052′′ पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	21380.00			
			4433.48	4425.75	-7.73
पु.	R.	-16946.52			
मुख्य शीर्ष ″5054′′ सड़क और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	8920.00			
पू.	S.	1.00	7653.60	7636.40	-17.20
पु.	R.	-1267.40			

(I) चौदह मदों के अंतर्गत ₹283.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹283.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in March, 2022) remained wholly unutilized under fourteen heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भवन" के अंतर्गत ₹685.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Tribal Area Sub-Plan - Building" - saving of ₹685.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to slow progress of work.

(III) मुख्य शीर्ष "4250" – "प्राकृतिक आपदाएं – आपदाओं के प्रबंधन में तैयारी बढ़ाना" के अंतर्गत – ₹1536.04 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूनामी सायरन की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण थी।

(III) Under Major Head "4250" - "Natural Calamities - Enhancing Preparedness in Managing Disasters" - saving of ₹1536.04 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2088.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to non-finalization of tender for procurement of Tsunami sirens.

(IV) मुख्य शीर्ष "5051" – "लघु पत्तन – अन्य छोटे पत्तन – पत्तन उपकरण और मशीनरी" के अंतर्गत ₹1113.08 लाख की बचत (₹1360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहन, मशीनरी, उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।

(IV) Under Major Head "5051" - "Minor Ports - Other Small Ports - Ports Equipment and Machinery" - saving of ₹1113.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1360.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement process of motor vehicles, machinery, equipments and slow progress of work.

(V) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः

(V) Under Major Head "5052" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) "टनेज का अधिग्रहण और विस्तार – पोतों की खरीद" के अंतर्गत ₹14000.72 लाख की बचत (₹14180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने और समुद्री जहाजों की सुपुर्दगी में देरी होने के कारण थी।

(A) "Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships" - saving of ₹14000.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14180.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement process and delay in delivery of marine vessels.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र की उप–योजना – पोतों की खरीद" के अंतर्गत ₹2863.30 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एक नग पोत (एमवी–नालंदा एसएच–22) की सुपुर्दगी न होने और समुद्री जहाजों की खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships" - saving of ₹2863.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-delivery of 01 No. vessel (MV-Nalanda SH-22) and non-finalization of procurement process of marine vessels.

(VI) मुख्य शीर्ष ''5054'' – ''जिला और अन्य सड़कें – सड़क कार्य – ग्रामीण सड़क'' – ₹743.64 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी।

(VII) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹2931.68 लाख की बचत हुई, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से कम है जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक है।

4. उपरोक्त बचतों का आंशिक रूप से (₹1534.67 लाख) पुनर्वियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया था, जैसा कि संसद को, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2022 में ₹3.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय, पहले ही सूचित किया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष ''4059'' – ''सामान्य – निर्माण – सामान्य प्रशासन'' – ₹299.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹304.45 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4215'' – ''जल आपूर्ति – शहरी जल आपूर्ति – शहरी क्षेत्र को जल आपूर्ति'' – ₹974.90 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष ''4801'' – ''संचार तथा वितरण – निदेशन एवं प्रशासन – संचार और वितरण पर व्यय'' – ₹260.27 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹260.12 लाख था।

(VI) Under Major Head "5054" - "District and other roads - Road Works - Rural Roads" - saving of ₹743.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs) was due to slow progress of work.

(VII) Under eight heads savings of ₹2931.68 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 24 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹1534.67 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹3.00 lakhs in March, 2022 under the following major heads: -

(A) Major Head "4059" - "General - Construction - General Administration" - ₹299.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹304.45 lakhs.

(B) Major Head "4215" - "Water Supply - Urban Water Supply - Water Supply to Urban Areas" - ₹974.90 lakhs.

(C) Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Expenditure on Transmission and Distribution" - ₹260.27 lakhs. Actual excess, however, was ₹260.12 lakhs.